# कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडक कार्यान्वयन निर्देशिका

# २०६३

## १. पृष्ठभूमि :-

ग्रामीण पूर्वाधार विकासको राष्ट्रीय रणनीति अनुरुप नेपालको कूल जनसंख्याको ८५ प्रतिशत ग्रामीण जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन ग्रामीण क्षेत्रमा यातायात सुविधा पुऱ्याई त्यस क्षेत्रका जनतालाई आर्थिक अवसर र सामाजिक सेवाहरुमा पहुँच अभिबृद्धि गर्न ग्रामीण सडकको ठूलो भूमिका रहन्छ ।

यसै परिप्रेक्षमा स्थानीय स्तरका सडकको बढ्दो मागलाई परिपूर्ति गर्न ७५ वटै जिल्लाहरुमा स्थानीय विकास निर्माण एवं कृषि सडक आयोजना अन्तर्गत १५०० आयोजनाहरु क्रमागत रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् भने थप ग्रामीण सडकहरुको माग समेत निरन्तर बढी रहेको छ । देशमा विद्यामान करिव २२००० कि.मी. ग्रामीण सडकहरुमध्ये पनि झण्डै १० हजार कि.मी. सडक मात्र सञ्चालनमा रहेको र बांकी सडकहरु नियमित मर्मत सुधार कार्य तथा वीच वीचमा पर्ने नदी नालाहरुमा पुल कल्भर्टको अभावमा सञ्चालनमा नआइरहेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा निर्माण भएका सडकहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउन र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने सडकहरुलाई स्वीकृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन, नर्मश स्टयाण्डर्डलाई पूर्ण रुपले पालन गरी व्यवस्थित तरिकाले निर्माण तथा सञ्चालन गर्न उपयुक्त व्यवस्थापनको नितान्त खाँचो रहेको छ ।

कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडकहरुलाई व्यवस्थित तरिकाले निश्चित समय, बजेट र मापदण्ड अनुसार निर्माण सम्पन्न गर्न उपयुक्त निर्देशिका निकै आवश्यक भएको तथ्यलाई ध्यानमा राखी आ.ब.२०६३/०६४ को बार्षिक बजेट बक्तव्यमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०६३ असोज भित्र कार्ययोजना बनाई निर्देशिका तयार गर्ने कुरा समेत उल्लेख भएको छ । मौजुदा कृषि सडक कार्यान्वयन मार्ग दर्शन २०५५ लाई समायोजन तथा परिमार्जन गरी एकीकृत रुपमा कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडक कार्यान्वयन निर्देशिका २०६३ तयार गरिएको छ ।

## २ निर्देशिकाको उद्देश्य

२.१. उपलब्ध साधन श्रोतलाई व्यवस्थित तरिकाले उपयोग गरी योजना निर्माण तथा सञ्चालन प्रकृयामा एक रुपता ल्याउनुको साथै क्रमागत कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडकहरुलाई निश्चित अवधि, मापदण्ड र बजेटमा सम्पन्न गर्न ।

२.२ जिल्लामा मर्मत तथा सुधार गर्नुपर्ने सडकहरुको पहिचान तथा प्राथमिकता निर्धारण गरी बार्षिक कार्य योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्न ।

२.३ कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडकहरुको लगानीलाई प्रतिफलयूक्त र गुणस्तरीय बनाइ भरपर्दो ग्रामीण सडक संजाल तयार गर्न ।

## ३. कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडक निर्माणका उद्देश्यहरुः-

३.१ ग्रामीण क्षेत्रलाई राजमार्ग तथा सहायक राजमार्ग (फिडर सडक) हरुसँग जोडी ग्रामीण क्षेत्रलाई यातायात सुविधा उपलब्ध गराउने ।

३.२ कृषकहरुवाट उत्पादित उपजलाई उत्पादन थलोवाट बजार विन्दुसम्म र उत्पादनका साधनहरुलाई वजार देखि उत्पादन थलो सम्मको पहुंचमा सहज र सरलता कायम गर्न सघाउ पुर्‍याउने ।

३.३ कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिकरण तथा विविधीकरण गर्न सघाउने ।

३.४ ग्रामीण जनतालाई समयमै अत्यावश्यक सेवाहरु (स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि) प्राप्त गर्न सुगम बनाउने ।

३.५ ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगार बृद्धि गरी उनिहरुको आर्थिकस्तर एवं जीवनस्तर उकास्ने ।

## ४ कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडकको वर्गिकरण :-

स्थानीय स्तरका सडकहरुलाई तीन किसिमले वर्गिकरण गरिनेछ ।

### ४.१ सेवा संचालनको आधारमा

क) सर्वयाम (बाह्रै महिना) संचालन गर्न सकिने (All Weather Road)

ख)	सुख्खा याममा संचालन हुने सडक (Fair Weather Road)

### ४.२ सडकको सतह (Pavement) को आधारमा

क) कालोपत्रे (Black Topped)

ख) ग्राभेल (Gravelled)

ग) धुले (Earthen)

### ४.३ महत्वको आधारमा

क) जिल्ला स्तरीय सडक (District Road Class ‘A’)

ख) ग्रामीण सडक (Rural Road Class ‘B’)

ग) कृषि सडक (Agricultural Road Class ‘B’)

घ) शहरी सडक (Urban Road)

ङ) घोडेटो बाटो (Main trail Class ‘C’)

च) गोरेटो बाटो (Village Trail Class ‘D’)

छ) रोप-वे (Rope way Class ‘E’)

❖ माथि उल्लेखित सडकहरुको डिजाईन स्ट्याण्डर्ड नेपाल ग्रामीण सडक मापदण्ड (२०५५) अनुसार हुनेछ ।

## ५. कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडक छनौटका आधारहरुः-

कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडक छनौट गर्दा निम्न आधारमा गर्नुपर्नेछ ।

५.१ क्रमागतरुपमा सञ्चालित सडकहरु (यस्ता सडकहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ) ।

५.२ जिल्ला यातायात गुरुयोजनामा प्राथमिकतामा परेका सडकहरु ।

५.३ वजार वा औद्यौगिक क्षेत्रसंग आवद्द हुन सक्ने स्थानमा भएको व्यावसायिक वा व्यवसाय उन्मुख कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र ।

५.४ बढीमा १५ कि.मी. सम्म लम्बाई भएका सडकहरु । तर लामो दूरीका सडक भएमा क्रमागत रुपमा प्रथम खण्ड सम्पन्न भएपछि ५ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न सकिने गरी दोश्रो १५ कि.मी. सडक खण्ड छनौट गर्न सकिनेछ ।

५.५ निर्देशिकामा रहेको कार्य योजना बमोजिमको समय र लागतको श्रोत र साधनले सम्भव सडकहरु ।

५.६ सडक निर्माणमा स्थानीय साधन, श्रोत, सीप प्रयोग भई महिला, दलित, उत्पीडित, आदिवासीहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने र उनिहरुले रोजगार पाउने सडकहरु ।

५.७ स्थानीय स्तरका सडक निर्माण गरिदा सकभर पुल पुलेसा नपर्ने सडकहरु (बनाउनु नै पर्ने भएमापनि न्यून संख्यामा सानातिना पुल बनाउनु पर्ने सडकहरु) ।

५.८ सडकहरुको लागि जग्गाको व्यवस्थापन स्थानीय उपभोक्ताहरुबाट नै हुन पर्ने वा स्थानीय निकायले व्यवस्थापन गर्न सक्ने सडकहरु ।

५.९ सडक निर्माण कार्यमा जनसहभागिताको अंश बढी प्राप्त हुने सडकहरु ।

५.१० जिल्ला विकास समितिले अनुसूची १ मा उल्लेख गरिए बमोजिम जिल्ला सडक समन्वय उप-समिति (Disctrict Road Coordination Sub-Committee) गठन गर्नेछन् । यसरी गठन गरिएको जिल्ला सडक समन्वय उप-समितिले आवश्यक प्राविधिक तथा वित्तीय विश्लेषण गरी कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडक आयोजना अन्तर्गत संचालन हुने आयोजना छनौटका लागि सिफारिस गर्नेछ । यसरी सिफारिस भएका आयोजनालाई जि.वि.स.को योजना छनौट प्रक्रिया अवलम्वन गरी छनौट गर्नुपर्नेछ । तर चालु आ.ब. ०६३/०६४ को हकमा जिल्ला यातायात समन्वय उप-समिति गठन भएका जिल्लाहरुमा सो को सिफारिस तथा नभएका जिल्लाहरुमा जिल्ला विकास समितिले राजनैतिक दलहरुको सल्लाहमा सडक छनौट गर्नेछन् ।

## ६. कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडक अनुमोदन प्रकृयाः-

६.१ योजना छनौट सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी जिल्ला विकास समितिबाट जिल्ला परिषदमा पेश गर्नुपर्ने ।

६.२ जिल्ला परिषदबाट योजना अनुमोदन गर्दा योजनाको प्रारम्भिक अध्ययन, कार्ययोजना, जग्गा उपलव्धि सम्वन्धी कागजहरु समावेश हुनुपर्ने ।

६.३ दामासाही रुपमा र न्यून बजेट विनियोजन गर्ने प्रबृतिलाई रोक्न योजना छनौट प्रकृयालाई पूर्णरुपमा अवलम्वन गरी आगामी आर्थिक बर्षमा सञ्चालन गर्नु पर्ने योजनाहरुको जिल्ला विकास समितिले प्रभावकारी कार्यान्वयन र ठोस उपलव्धी हाँसिल हुने भौतिक/आर्थिक कार्य योजना सहित जिल्ला परिषदमा पेश गरी जिल्ला परिषदवाट अनुमोदन हुनुपर्ने ।

## ७ बजेट तथा कार्य योजना सम्बन्धी व्यवस्था

७.१ केन्द्रीय अनुदानलाई जिल्लागत रुपमा बजेट वाडफाँड गर्दा जिल्लामा सञ्चालित मुख्य सडक योजना (RAIDP/DRILP/ RAP/DRSP etc.) लागु भए/नभएको, जिल्लाको क्रमागत सडक योजना सख्या, गरीवीको सूचकांङ्क र अन्य मापदण्डको आधारमा गरिनेछ ।

७.२ बार्षिक, आवधिक कार्य योजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने कूल बजेटको ७० प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान, न्यूनतम २० प्रतिशत उपभोक्ताद्वारा जनसहभागिता, १० प्रतिशत जिल्ला विकास समिति/गाउँ विकास समितिको Matching Fund तथा अन्य गैर सरकारी संस्था आदिबाट प्राप्त हुने साधन श्रोतलाई समावेश गरी तयार गर्नुपर्नेछ ।

७.३ कार्य योजना बनाउदा क्रमागत सडकहरु सम्पन्न गर्न कूल बजेटको न्यूनतम ७० प्रतिशत विनियोजित गर्नु पर्नेछ । नयाँ योजना समावेश गर्नु परेमा ३० प्रतिशत बजेटबाट निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्य योजना बनाउनु पर्नेछ ।

७.४ कार्य योजना जिल्ला विकास समिति/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले तयार गरी जिल्ला परिषदबाट स्वीकृत भएपछि सो को जानकारी यथासिघ्र स्थानीय विकास निर्माण एवं कृषि सडक आयोजनामा तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

## ८. कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडक आयोजना कार्यान्वयन प्रकृया

जिल्ला परिषदबाट पारित आयोजनाहरुलाई निम्न प्रकृया अवलम्वन गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

### ८.१ सर्वेक्षण प्रकृयाः-

क) छनौट प्रकृया अवलम्वन गरी परिषदबाट स्वीकृत भएका ग्रामीण सडकहरुको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय एवं प्राविधिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य निर्माण बर्षको पूर्व आर्थिक बर्षमा नै हुनुपर्नेछ ।

ख) सम्भाव्यता अध्ययनवाट सम्भाव्य देखिएका सडकहरुको विस्तृत प्राविधिक, वातावाणीय, सामाजिक अध्ययन र डिजाइन कार्य (नक्शा तथा लागत अनुमान) जिल्ला प्राविधिक कार्यलयबाट सम्पन्न गर्ने गराउने र लागत-अनुमान, चेक जाँच गरी सम्पूर्ण दस्तावेज स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली २०५६ को नियम २ (क) बमोजिमको अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट निर्माण पूर्व स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

ग) स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागबाट लागु गरिएका स्वीकृत नर्मश, स्पेसिफिकेशन, स्टाण्डर्डस अनुसार सर्वेक्षण कार्य गर्नु/गराउनु पर्नेछ ।

घ) उक्त कार्यमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई सघाउ पुऱ्याउन स्थानीय विकास निर्माण एवं कृषि सडक आयोजनाले आयोजना अन्तर्गतका कर्मचारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार काज खटाई पठाउन सक्ने छ ।

ङ) जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्राविधिक जनशक्तिले नभ्याउने योजनाको सर्वे डिजाईन एवं अन्य अध्ययन कार्य गराउन जिल्ला विकास समिति/ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले आवश्यकता अनुसार परामर्सदाता संलग्न गराउन सक्नेछ ।

च) ग्रामीण सडकहरुको विवरण अद्यावधिक गर्न प्रत्येक आर्थिक बर्षमा सञ्चालित सडकहरुको इन्भेण्ट्रि सर्वेक्षण गरी सडकहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य जिल्ला विकास समितिले गर्ने/गराउने छ ।

## ८.२ निर्माण प्रकृयाः-

क) स्थानीय स्तरका सडक निर्माण श्रममूलक प्रविधि, वातावरण मैत्री (Bio-engineering) तथा सहभागितात्मक पद्धति अपनाई गर्नुपर्नेछ ।

ख) स्थानीय स्तरका सडकहरुको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउनु पर्नेछ ।

ग) निर्माण हुने सम्पूर्ण सडक लम्बाइको प्रतिनिधित्व हुने गरी उपभोक्ता समिति गठन सामूहिक भेलाबाट गर्नुपर्नेछ । उपभोक्ता समितिले गुणस्तर कायम गर्न कठिनाई हुने किसिमका सहायक क्रियाकलापहरु (जस्तै पुल पुलेसा, कल्भर्ट, ग्राभेल, कालोपत्रे जस्ता कार्यहरु र कडा चट्टान कटानी कार्यहरु) जिल्ला प्राविधिक कार्यालय उपभोक्ता समिति, जिल्ला विकास समितिको सहमतिमा ठेक्कापट्टा मार्फत गराउन सक्नेछ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता समितिलाई अनुगमन तथा सामाजिक परीक्षण कार्यमा सक्रिय रुपमा सहभागी गराउनुपर्नेछ ।

घ). उपभोक्ता समितिको लागि निर्माण पूर्व निर्माण सम्बन्धी तथा निर्माण पश्चात सञ्चालन र मर्मत सम्भार सम्बन्धी अभिमुखीकरण (Orientation) कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

ङ) समुदायद्वारा गरिने निर्माणका काममा अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यसका साथै सार्वजनिक सुनुवाई र नागरिक बडापत्रलाई अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा अवलम्वन गर्नु पर्नेछ ।

च) सडक योजनाहरुमा (योजना शुरु हुने मिति, सम्पन्न हुने मिति, लागत आदिको विवरण खुलेको) होर्डिङ्ग वोर्डको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

छ) उपभोक्ताद्वारा गराउनु पर्ने निर्माण कार्यको दस्तावेज (लागत ईस्टिमेट, नक्शा आदि) बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा उपभोक्ता समितिलाई दिनु पर्नेछ ।

ज) उपभोक्ता समितिबाट उपलव्ध हुने सहभागिताको प्रतिशत अंक कामको प्रकृति हेरी जिल्ला भरि एक रुपता आउने गरी जिल्ला विकास समितिले २० प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।

## ९ अनुगमन, निरीक्षण र मूल्याङ्कन व्यवस्थाः-

९.१ स्थानीय स्तरका सडकहरुको निर्माण कार्यको नियमित सुपरिवेक्षण, गुणस्तर नियन्त्रण र मूल्यांङ्कन कार्य जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट हुनेछ ।

९.२ यदि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा जनशक्तिको अभाव भएमा स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली अनुसार परामर्श दातालाई संलग्न गराउन सकिनेछ ।

९.३ स्थानीय स्तरका सडकहरुको व्यवस्थापन, निर्माण प्रकृया, गुणस्तर आदि कार्यको समय समयमा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, स्थानीय विकास निर्माण एवं कृषि सडक आयोजना तथा जिल्ला विकास समितिबाट अनुगमन निरीक्षण गर्ने कार्य गरिनेछ ।

९.४ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयवाट योजनागत रुपमा भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण सम्बन्धित निकायमा (जिल्ला विकास समिति, स्थानीय विकास निर्माण एवं कृषि सडक आयोजना, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, र स्थानीय विकास मन्त्रालय) चौमासिक एवं बार्षिक अवधि वितेको ७ दिन भित्र पठाई सक्नु पर्नेछ ।

९.५ स्वीकृत आधार विपरित काम भएमा त्यस्ता सडक आयोजनाको निकाशा रोक्का राखी सम्बन्धित निर्माण कर्तालाई आवश्यक कार्वाही गरिनेछ ।

## १० मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन व्यवस्था:-

१०.१ स्थानीय स्तरका सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भै सकेपछि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार मर्मत सम्भार कार्यको व्यवस्था उपभोक्ता समितिले नै गर्नुपर्नेछ ।

१०.२ स्थानीय स्तरका सडकहरुको हस्तान्तरण प्रकृया स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन/नियममा व्यवस्था गरिए अनुसार गर्नुपर्नेछ ।

१०.३ स्थानीय स्तरका सडकहरुको मर्मत सम्भारको लागि जिल्ला विकास समितिले ग्रामीण सडक मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्थापन एवं सञ्चालन गर्नेछ ।

१०.४ ग्रामीण सडक मर्मत सम्भार कोषको स्थापना भएपछि जिल्ला विकास समितिले कोष सम्बन्धी विनियम बनाई सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । उक्त कोषमा स्थानीय स्तरबाट उठाउने सेवा शुल्क, केन्द्र स्तरबाट प्रदान गरिएको मर्मत अनुदान रकम तथा अन्य श्रोतबाट जुटाइएको रकम समावेश हुनेछ ।

## ११ कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडक निर्माण कार्यक्रममा सहयोगीहरुको भूमिका

### ११.१. केन्द्रीय स्तर:-

#### ११.१.१ स्थानीय विकास मन्त्रालय:-

क) स्थानीय स्तरका सडक निर्माण निर्देशीका स्वीकृत गर्ने ।

ख) स्थानीय स्तरका सडक निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गर्ने ।

ग) स्थानीय स्तरका सडकको अख्तियारी पठाउने ।

घ) समय समयमा समीक्षा अनुगमन मूल्याङ्कन एवं निरीक्षण गर्ने ।

#### ११.१.२ स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग:-

क) स्थानीय स्तरका सडकहरुको प्राविधिक मापदण्ड (Standard, Norms, र Specification) तयार गर्ने र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने ।

ख) स्थानीय स्तरका सडक निर्माण गर्न स्थानीय प्रविधिको विकास गर्ने/गराउने ।

ग) स्थानीय स्तरमा कार्यरत प्राविधिकहरुको बृति विकासको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तयार गर्ने ।

घ) स्थानीय स्तरका सडक निर्माणमा आवश्यक गुणस्तर कायम गर्न प्रयोगशाला स्थापना गर्ने ।

ङ) समय समयमा ग्रामीण सडकहरुको अनुगमन निरीक्षण गर्ने ।

### ११.१.३ स्थानीय विकास निर्माण एवं कृषि सडक आयोजना.:-

क) स्थानीय स्तरका सडक कार्यक्रम सम्बन्धी नीति, नियम व्यवस्थापनको लागि निर्देशिका तयारी र परिमार्जन गरी स्वीकृतिको लागि विभाग/मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।

ख) स्थानीय स्तरका सडक सम्बन्धी प्रविधि विकास गर्ने/गराउने ।

ग) जिल्लाले पेश गरेको कार्य योजना र अन्य मापदण्डको आधारमा जिल्लागत बजेट तयार गरी विभाग/मन्त्रलायमा पेश गर्ने र निकासा सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने ।

घ) बार्षिक कार्यक्रम संकलन गरी त्यसको जानकारी समयमा विभाग र मन्त्रालयमा पठाउने

ङ) भौतिक तथा वित्तीय प्रगति संकलन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने र प्रतिवेदन समयमा विभाग र मन्त्रालयमा पेश गर्ने साथै प्रगति विवरण प्रकाशित गर्ने ।

च) स्थानीय स्तरका सडकहरुको सूचकांङ्क तयार गरी सो को आधारमा नियमित अनुगमन निरीक्षण गर्ने ।

छ) सर्त तथा निर्देशनको पालना नगर्ने जिल्ला विकास समितिलाई आवश्यक कार्वाहीको लागि विभाग तथा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने ।

ज) स्थानीय निकायमा कार्यरत प्राविधिकहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न पुल तथा सडक निर्माण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने/गराउने ।

झ) स्थानीय स्तरका तथा कृषि सडक सम्बन्धी तथ्याङ्क एवं विवरण संकलन गरी नेपाल ग्रामीण सडक रेकर्ड (Nepal Rural Road Record) अद्यावधिक गर्ने तथा त्यसको प्रकाशन गर्ने ।

ञ) दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला जोड्ने तथा रणनीतिक महत्वका सडकहरुलाई केन्द्रीय वजेट विनियोजन प्रणाली ६.०५ मा राखि समय भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने/गराउने तथा दुई जिल्ला बिकास समितिहरु वीच समन्वय गराउने ।

ट) आवश्यकता अनुसार कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडक निर्माण कार्यमा प्राविधिक र प्रशासनिक सहयोगको लागि कर्मचारी खटाई पठाउने ।

ठ) जिल्ला यातायात गुरु-योजना (DTMP) वनाउने/अद्यावधिक गर्ने/गराउने कार्यमा सहयोग गर्नुका साथै जिल्लामा सञ्चालित सडकहरुको इन्भेन्ट्री सर्भे (Inventory Survey) गर्ने/गराउने ।

ड) निर्माण सम्पन्न महत्वपूर्ण सडकहरुको निश्चित समय पश्चात प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने/गराउने ।

## ११.२. स्थानीय स्तरः-

### ११.२.१ जिल्ला विकास समितिको भूमिकाः-

(क) क्रमागत योजनाहरुलाई निर्धारित समय र बजेटमा सम्पन्न गर्ने कार्य योजना बनाई स्वीकृत गर्नुका साथै नयाँ योजनाहरु लिनु पर्ने भएमा सोको समेत कार्ययोजना बनाई स्वीकृत गर्ने/गराउने ।

(ख) प्रस्तावित योजना/बार्षिक बजेट/आवधिक बजेट सिफारिस सहित स्वीकृतको लागि जिल्ला परिषदमा पेश गर्ने ।

(ग) जिल्ला परिषदबाट स्विकृत ग्रामीण सडक सम्बन्धी कार्य योजनालाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन/नियममा व्यवस्था भए अनुसार कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन र निर्देशन दिने ।

(घ) जिल्ला यातायात गुरु-योजना (DTMP) बनाउने/अद्यावधिक गर्ने/गराउने र स्वीकृत गर्ने ।

(ङ) समय समयमा योजनाहरुको अनुगमन निरीक्षण गर्ने ।

(च) स्थानीय स्तरका सडक निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सम्भार कार्यमा समन्वय गर्ने/गराउने ।

(छ) सम्पन्न सडकहरुमा न्यूनतम आवश्यक ट्राफिक इञ्जिनियरिङ्ग (Traffic Engineering) को कार्यहरु गर्ने/गराउने ।

(झ) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन/नियम अनुसार स्थानीय स्तरका सडकमा कर निर्धारण सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

(ञ) निर्माण सम्पन्न सडकको क्षेत्राधिकार (Right of way) निश्चित गरी सडकमा पर्ने जग्गाको लगत कट्टा गराउने ।

(ट) कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडक सम्बन्धी तथ्याङ्क एवं विवरण संकलन गरी जिल्लाको जिल्ला ग्रामीण सडक रेकर्ड (District Rural Road Record) अद्यावधिक गर्ने तथा त्यसको प्रकाशन गर्ने ।

ठ) निर्माण सम्पन्न सडकहरुमा नियमित मर्मत सम्भारको लागि सडक लेन्थ वर्करको व्यवस्था गर्ने ।

### ११.२.२. जिल्ला सडक समन्वय उप-समितिको भूमिका

जिल्ला सडक समन्वय समितिले जिल्ला विकास समितिको स्थायी उप-समितिका रुपमा रही जिल्लाभरिका यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुमा जिल्ला विकास समितिलाई सरसल्लाह प्रदान गर्नेछ । यस समितिका प्रमुख भूमिकाहरु यसप्रकार हुनेछन् ।

(क) जिल्ला यातायात गुरुयोजना तयार/परिमार्जन गर्न जिल्ला विकास समितिलाई सहयोग गर्ने,

(ख) जिल्ला सडकको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने ।

(ग) जिल्ला यातायात गुरुयोजना सडक निर्माण कोष लगायत अन्य विभिन्न श्रोतबाट निर्माण एवं मर्मत संभार गरिने सडक आयोजना छनौट गर्न जिल्ला विकास समितिलाई सहयोग गर्ने र आवश्यकता अनुसार सिफारिश गर्ने,

(घ) यातायात सम्बन्धी आयोजनाहरुको अनुगमन गरी सुधारात्मक कार्यहरुको पहिचान गर्ने र जिल्ला विकास समितिलाई सो सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,

(ङ) सार्वजनिक परीक्षणमा सहभागी हुने,

(च) जिल्ला तथा गाउँ स्तरमा उठ्ने वादविवादहरुको समाधान गर्ने,

(छ) प्रत्येक वर्षमा कम्तीमा दुईपटक समितिको बैठक बसी समीक्षा, छलफल गर्ने र उठेका समस्याहरुको निराकरणका लागि पहल गर्ने,

(ज) समितिको कार्यालय जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा रहनेछ ।

### ११.२.३ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको भूमिकाः-

(क) जिल्ला यातायात गुरु-योजनामा प्राथमिकतामा परेका सडक योजनाहरुको प्राविधिक अध्ययनको आधारमा रिपोर्ट तयार गरी स्वीकृतिको लागि जिल्ला विकास समितिमा पेश गर्ने ।

(ख) सडक योजनाहरुको विस्तृत सर्वेक्षण, डिजाईन र लागत इस्टिमेट तयार गर्नुका साथै सुपरिवेक्षण, गुणस्तर नियन्त्रण र मूल्याङ्कन गर्ने ।

(ग) स्थानीय स्तरका सडक सम्बन्धी रेकर्ड (Data Base) खडा गर्ने ।

(घ) भौतिक तथा बित्तीय प्रगतिको चौमासिक तथा बार्षिक प्रगति तयार गरी जिल्ला विकास समिति, आयोजना, विभाग र मन्त्रालयमा समय अवधि समाप्त भएको ७ दिनभित्र पठाउने ।

(ङ) आयोजनाको लागि स्वीकृत बजेटका आधारमा कार्यक्रम बनाई जिल्ला विकास समितिमा पेश गर्ने र स्वीकृत कार्यक्रमको जानकारी स्थानीय विकास निर्माण एवं कृषि सडक आयोजना तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग पठाउने ।

(च) स्वीकृत कार्यक्रमको आधारमा सम्बन्धित सडक योजनामा स्वायत्त शासन ऐन नियम अनुसार उपभोक्ता समिति गठन गर्ने/गराउने र कामको प्रकृति अनुसार निर्माण कार्यको लागि उपभोक्ता समिति सँग सम्झौत्ता गर्ने वा ठेक्का पट्टाको व्यवस्था गर्न अति आवश्यक भएमा यस निर्देशिकाको ८.२ (ग) अनुसार गर्ने/गराउने ।

(छ) निर्माण कार्यको ले-आउट गर्न, सुपर-भिजन गर्न, गुणस्तर जाँच गर्न र नाप जाँच गर्न, प्रत्येक आयोजनाको लागि साइट ईन्चार्ज तोक्ने र प्राविधिकहरुको खटन पटन गर्ने ।

(ज) सम्पन्न कार्यको चेक जाँच गरी भुक्तानी दिने र आयोजनाको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

(झ) जिल्ला विकास समितिलाई प्राविधिक सुझाव र सल्लाह दिने ।

(ञ) जिल्ला विकास समितिको निर्देशनहरुको पालना गर्ने/गराउने ।

(ट) उपभोक्ता समितिलाई निर्माण पूर्व निर्माण सम्बन्धी तथा निर्माण पश्चात सञ्चालन र मर्मत सम्भार सम्बन्धी अभिमुखीकरण (Orientation) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

### ११.२.४ उपभोक्ता समितिको भूमिकाः-

(क) सम्भाव्य योजनाहरुको पहिचान गरी गाँऊ विकास समितिमा प्रस्ताव पेश गर्ने ।

(ख) स्थानीय स्तरका सडकको लागि जग्गा उपलव्ध गराउने ।

(ग) लाभान्वित समुहवाट अधिकतम जनसहभागिता जुटाउने ।

(घ) उपभोक्ता समिति गठन गर्ने गराउने ।

(ङ) समय समयमा सडक मर्मत सम्भार गर्ने/गराउने र सडक संरक्षणको लागि वातावरण मैत्री सम्बन्धी (Bio-engineering) संरचनाहरुको व्यवस्थापन र संभार गर्ने/गराउने ।

(च) सडक निर्माण गर्न स्थानीय स्तरमा उपलव्ध निर्माण सामाग्रीको व्यवस्था गर्ने र जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने ।

(छ) प्राविधिक मूल्याङ्कनको आधारमा प्राप्त ज्यालालाई कामदारहरुमा वितरण गर्ने, हरहिसाव राख्ने र कामको प्रगति अनुसार भुक्तानी माग गर्ने/गराउने ।

(ज) निर्माणाधिन कार्यको अनुगमन गरी यथार्थ जानकारी सम्बन्धित प्राविधिकलाई उपलव्ध गराउने ।

(झ) कामको प्रगति समीक्षा गर्न समय समयमा उपभोक्ता समिति तथा समुहको बैठक बोलाउने । यस्तो बैठकमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरुको उपस्थिति हुनु पर्ने ।

(ञ) सडक निर्माणमा समस्या आएमा समाधान गर्ने ।

(ट) जिल्ला विकास समिति/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयसँग योजनाको हिसाव फर्स्यौट र फरफारक गर्ने/गराउने ।

(ठ) निर्माणमा प्रयोग भएका बस्तु तथा औजारहरुको विवरण तयार पारी सुरक्षित राख्ने ।

(ड) जिल्ला विकास समिति/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले सडक निर्माणको लागि मागेको सहयोग उपलब्ध गराउने ।

(ढ) समितिद्वारा सम्पन्न कार्यहरुको अनिवार्य रुपमा नागरिक वडापत्र तथा सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने ।

# अनुसूची - १

## जिल्ला सडक समन्वय उप-समिति गठन र कार्य-विवरण

### १. जिल्ला सडक समन्वय उप-समितिको गठन

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १९० बमोजिम प्रत्येक जिल्ला विकास समितिले जिल्लाभरिको स्थानीय स्तरका यातायात प्रणालीको निर्माण एवं मर्मत संभारमा सहयोग पुऱ्याउने गरी जिल्ला विकास समितिको उप-समितिका रुपमा एउटा जिल्ला सडक समन्वय उप-समिति गठन गर्नेछन् । उक्त उप-समितिमा रहने सदस्यहरुको चयन गर्दा यस निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसार समावेशी र प्रतिनिधिमूलक रुपमा गर्नुपर्नेछ ।

| सि.नं. | विवरण | पद | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | जि.वि.स. सभापति | अध्यक्ष | |
| २ | जि.वि.स. उप-सभापति | उपाध्यक्ष | |
| ३ | पूर्वाधार तथा विकास निर्माण सम्बन्धी विषयगत समितिको अध्यक्ष | सदस्य | |
| ४ | जि.वि.स.को महिला सदस्य (जि.वि.स. ले चयन गर्ने) | सदस्य | महिला सदस्य नभएमा महिला विकास अधिकृत |
| ५ | प्रत्येक इलाकाबाट एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी गा.वि.स. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यहरुमध्येबाट जि.वि.स.द्वारा चयन गरिएका पदाधिकारी | सदस्यहरु | |
| ६ | जिल्लामा रहेका प्रमुख राजनैतिक दलका पार्टी कार्यालयबाट मनोनित पार्टी प्रतिनिधिहरु (यस प्रयोजनका लागि सि.नं. १ देखि ५ सम्ममा जिल्लामा रहेका प्रमुख राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व भइसकेको रहेछ भने थप सदस्यहरु समावेश नगर्ने ।) | सदस्यहरु | जि.वि.स.को जन प्रतिनिधिहरुबाट गठन नभए सम्मका लागि |
| ७ | जिल्ला गै.स.स. महासंघद्वारा चयन गरिएका महासंघका प्रतिनिधि | सदस्य | |
| ८ | जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघद्वारा चयन गरिएका संघका प्रतिनिधि | सदस्य | |
| ९ | दलित/जनजातिका जिल्ला समितिका उपाध्यक्ष वा समितिले तोकेका प्रतिनिधि एक/एक जना | सदस्य | |
| १० | जिल्ला अपाङ्ग संघको प्रतिनिधि | सदस्य | |
| ११ | जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख | सदस्य | |
| १२ | प्रमुख, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय | सदस्य | |
| १३ | जि.वि.स. सचिव | सदस्यसचिव | स्था.वि.अधिकारीले अध्यक्षता गरेको अवस्थामा जि.प्रा.कार्यालयको प्रमुख ले सदस्य सचिव भै काम गर्ने । |

जिल्ला सडक समन्वय समितिमा सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लाका विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरु, जिल्ला यातायात महासंघका प्रतिनिधि, महिला समूहका प्रतिनिधि, सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि तथा उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरुलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रितका रुपमा सहभागी गराउन सकिनेछ ।

अनसूची २

(नियम २१ (१) संग सम्बन्धित)

# बार्षिक कार्यक्रम

१. आ. ब. :-
२. ब.उ.शि.नं. :-
३. मन्त्रालय :- **स्थानीय विकास**
४. विभाग :- **स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक**
५. कार्यक्रम/आयोजना :-
६ योजना सञ्चालन हुने स्थान :
    क) जिल्ला :-
    ख) गा.वि.स. र न.पा. र वडा नं. : -
७. आयोजना शुरु भएको मिति :- **आ.ब.**
८. आयोजनाको पुरा भएको मिति :-
९. आयोजना र कार्यालय प्रमुखको नाम :-

१० बार्षिक बजेट ०६.. ।०६.. को रु.
क( आन्तरिक    १. नेपाल सरकार रु.
              २. स्थानीय निकाय रु.
              ३. जनसहभागिता
ख) बैदेशिक    १. ऋण रु.
              २. अनुदान रु.
ग) दातृ संस्था:-

ख) बैदेशिक    १. ऋण रु.
              २. अनुदान रु.

११ आयोजनाको कुल लागत रु.
क( आन्तरिक    १. नेपाल सरकार रु.
              २. स्थानीय निकाय रु.
              ३. जनसहभागिता

१२. गत आ.ब. सम्मका खर्च रु (सोझै भुक्तानी र बस्तुगत समेत)
क( आन्तरिक    १. नेपाल सरकार रु.
              २. स्थानीय निकाय रु.
              ३. जनसहभागिता
ख) बैदेशिक    १. ऋण रु.
              २. अनुदान रु.

(रकम रु. हजारमा)

| क.स. | कार्य विवरण | ईकाइ | आयोजनाको कुल कार्य | | | गत आ.ब. सम्मको | | आ.ब ०६..।६.. को बार्षिक कार्यलक्ष्य | | बार्षिक | प्रथम चौमासिक लक्ष्य | | | दोश्रो चौमासिक लक्ष्य | | | तेश्रो चौमासिक लक्ष्य | | | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | परिमाण | लागत | भार | सम्पन्न परिमाण | भारित प्रगति | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | प्रशासनिक खर्च | प्र.स. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **कुल जम्मा** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

आयोजना/कार्यलय प्रमुख:-
मिति:-

विभागीय/संस्था प्रमुख:-
मिति:-

प्रमाणित गर्ने
मिति:-

अनुसूची ३

(नियम २१ को उपनियम (२) र नियम २५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

................. कार्यालय/आयोजना

# आ.ब. ................ को ..................... अवधिसम्मको लक्ष्य प्रगति विवरण

बजेट उप-शिर्षक नं. रकम रु. हजारमा

| क्रम संख्या | कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरु | एकाई | बार्षिक लक्ष्य | | | आ.ब.०६../०६.. को लक्ष्य | | | आ.ब. ०६../०६.. को बार्षिक प्रगति | | | आ.ब. ०६../०६.. को खर्च | | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सूचक | भार | बजेट | सूचक | भार | बजेट | सूचक | भार | बजेट | रकम | प्रतिशत | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | कूल जम्मा | | | | | | | | | | | | | |

पेश गर्ने कार्यालय प्रमुख

अनुसूची ४

# क्रमागत सडकहरुको कार्ययोजना तयार गर्ने विवरण फाराम

**जिल्लाको नाम :-**

रकम रु. हजारमा

| क्र.सं. | आयोजनाको नाम | **DTMP** कोर्ड नं | शुरु आ.व. | कूल कि.मी | लाभान्वित जनसंख्या | सम्पन्न कि.मी. | | बाँकी निर्माण कार्यको लागि लाग्ने अनुमानित वजेट (ट्र्याक निर्माण,संरचना र स्तरोन्नति समेत) | | | | | | यातायात संचालन भै राखेको खण्ड कि.मी. | बिस्तृत सर्भेक्षण भएको खण्ड कि.मी. | जम्मा आबश्यक बजेट ९,११ र १३ को जम्मा | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | मोटरेवल ट्र्याक निर्माण | | ग्राभेल | | पुल कल्भर्ट/कजवे | | | | | |
| | | | | | | धुले | ग्राभेल | कि.मी. | आबश्यक बजेट | कि.मी. | आबश्यक बजेट | संख्या | आबश्यक बजेट | | | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | कूल जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | |

अनुसूची ५

# क्रमागत सडकहरुको निर्माण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य योजना फाराम

**जिल्लाको नाम :**

| क्रसं | कामको विवरण | कूल परिमाण | प्रथम बर्ष | | | दितिय बर्ष. | | तृतिय बर्ष | | चतुर्थ बर्ष | | पाचौ बर्ष | | कूल लागत | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | दर | परिमाण | लागत मूल्य | परिमाण | लागत मूल्य | परिमाण | लागत मूल्य | परिमाण | लागत मूल्य | परिमाण | लागत मूल्य | | |
| १ | २ | ३ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | ११ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ |
| 1 | ट्याक निर्माण (कि. मि.) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ग्राभेल गर्ने काम (कि.मि.) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | पलपुलेसा निर्माण गर्ने काम ( गोटा) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | नियमित मर्मत संभार (कि.मी.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | **जम्मा** | | | | | | | | | | | | | | |

अनुसूची ६

## क्रमागत सडकहरुको निर्माण सम्पन्न गर्न वित्तीय व्यबस्थापन सम्बन्धी फाराम

जिल्लाको नाम :- क्रमागत सडकको संख्या :- रकम रु. हजारमा

| क्र.सं. | कामको विवरण | लगानि प्र.स. | प्रथम बर्ष | दितीय बर्ष | तृतीय बर्ष | चतुर्थ बर्ष | पाचौ बर्ष | कूल जम्मा आवस्यक रकम | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लागत मूल्य | लागत मूल्य | लागत मूल्य | लागत मूल्य | लागत मूल्य | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
| 1 | नेपाल सरकार/दातृ संस्था | | | | | | | | |
| 2 | जि. बि. स./गा. बि.स. समपुरक कोष (Matching Fund) | | | | | | | | |
| 3 | स्थानीय जनसहभागिता | | | | | | | | |
| | कूल जम्मा | | | | | | | | |

अनुसूची ७

# जिल्ला ग्रामिण सडक रेकर्डको फाराम

## (Format of District Rural Road Record)

| सि.नं. | **DTMP** कोड नं. | सडक आयोजनाको नाम | कुल लम्वाइ कि.मि. | सुरु आ.ब. | सम्पन्न भएको/ हुनुपर्ने आ.ब. | कुल लागत रकम | सडकले छुने गा.बि.स./ महत्वपूर्ण स्थानहरु | सम्पन्न सडक सतह (कि.मी.) | | | यातायात संचालन भै रहेको ( कि.मी) | वीचमा पर्ने ठूला नदी नाला र पुलहरुको नाम | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | कालोपत्रे | ग्राभेल | धुले | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

अनुसूची ८

## ग्रामीण सडक डिजाइन गुणस्तरमान (Rural Road Design Standards)

डिजाइन गुणस्तरमान : (स्थानीय स्तरका सडक ”क”, “ख”, “ग”, तथा “घ” श्रेणीका सडकहरुलाई मात्र)

ग्रामीण यातायात सम्पर्क संजाल डिजाइन गर्दा तथा मर्मत सम्भार गर्दा तल दिइएका मापदण्डहरुलाई अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । (डोलिडार गुणस्तरमान)

| क.सं. | डिजाइन पारामीटर | ”ए” श्रेणी जिल्ला सडक | | ”बी” श्रेणी स्थानीय/कृषि सडक | | ”सी” श्रेणी | ”डी” श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पहाड | तराई | पहाड | तराई | घोढेटो बाटो | गोरेटो बाटो |
| 1 | डिजाइन क्षमता - दुवै तर्फ गाडी/दिन/ट्राफक (इकाई प्रति दिन) | 200 (४००) | 400 (८००) | 100 (२००) | 200 (४००) | | |
| 2 | डिजाईन गति (कि.मी. प्रति घण्टा) | 20 | 40 | 15 | 30 | | |
| 3 | सडक अधिकार क्षेत्र केन्द्रबाट दुवै तर्फ (मी) | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 1.5 |
| 4 | सडकको चौडाई (Formation Width (मी.) | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 1.2 |
| 5 | वाहन पथको (Carriage way चौडाई (मी.) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.2 |
| 6 | सोल्डरको चौडाई (मी) | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0 |
| 7 | सडकको सतह | ग्राभेल | ग्राभेल | - | - | - | - |
| 8 | मोडमा न्यूनतम अर्धव्यास (मी.) | 10 | 20 | 10 | 20 | | |
| 9 | लम्बाई तर्फ अधिकतम औसत चढाई (Maximam Average longitudinal gradient) % | 8 | 5 | 8 | 5 | | |
| 10 | अधिकतम चढाई (Max.longitudinal gradient) % | 12 | 7 | 12 | 7 | | |
| 11 | Easing of Gradient | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | |
| 12 | पहाडी सडकमा लम्बाइ तर्फको न्यूनतम उचाई (पानी निकाशाको लागि) % | 1 | - | 1 | - | | |
| 13 | पुलमा अधिकतम बाढीको लेभलबाट चाहिने खाली उचाई Free Board from HFL)(मी.) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 14 | रोकीदा चाहिने न्यूनतम दूरी (मि.) (Minimum Stopping Sight Distince) | 20 | 40 | 15 | 30 | | |
| 15 | बाहन पथको (Cross slop in Carriage way camber) % | 4 | 4 | 5 | 5 | | |
| 16 | सोल्डरको (Cross slop in Shoulder camber) % | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 17 | कलभर्ट/पुलको बाहनपथको चौडाई (मी.) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.2 |
| 18 | ले वाई/पास दिने ठाउँको साइज (मी x मी) | 3.0 x 20 | 3.0 x 20 | 3.0 x 20 | 3.0 x 20 | | |
| 19 | ले वाई/पास दिने ठाउँको अन्तराल (मी) | 300 | 500 | 300 | 500 | | |

Note :- १) क.सं. ४ मा ०.६ मी. नाली र ०.४ मी पारापेट सहित ( आवश्यक ठाउँमा )

२) क.सं. ८ मा ( Minimum Radius in horizontal curve)

३) बिस्तृत जनकारीको लागि DOLIDAR को Approach manual को पृष्ठ नं. ६ अनुसूची II २ हेर्नु होला ।

अनुसूची ९

## ग्रामीण सडकलाई ऐच्छिक जग्गा दान दिने फाराम

मिति ................ मा ................ जिल्ला, गा.वि.स. ....................... वडा ..... नं. ........ बस्ने श्री ............................... का/की नाति/नातिनी/बुहारी श्री ......................... का/की छोरा/छोरी/बुहारी बर्ष ....... का/की श्री/श्रीमती/सुश्री ....................... र ....................... सडक उपभोक्ता समुहको नाम/वीच निम्न बमोजिमको सम्झौता गरिएको छ।

१. लालपुर्जा नं. ...... मा प्रस्तुत जग्गा ............... को अङ्ग/अंश हो र यो पूर्वमा ............ ले पश्चिमा ............ ले उत्तरमा ................ ले र दक्षिणमा ................ ले घेरिएको छ।

२. प्रस्तुत जग्गाले ............मा जग्गा/संरचना सम्पत्तिको ................ को स्थानान्तरणीय अधिकार प्राप्त गरेको छ।

३. समुदायको सुविधाका लागि.............. ग्रामिण सडक आयोजनाको सहयोगार्थ .......... गा.वि.स. ........... वडा नं. ............. मा निर्माण/विकास हुने ........... का लागि जग्गाधनीले आजका मितिबाट .................................. लाई सडक उपभोक्ता समुहको नाममा यो सम्पत्ति ..................... रुपमा प्रदान गरेको छ।

४. यस कार्यको लागि जग्गा धनीले कुनै पनि प्रकारको क्षतिपूर्तिको माग राख्ने छैन र दान गरिएको जग्गामा निर्माण कार्य गर्दा हस्तक्षेप गर्ने छैन। यदि हस्तक्षेप गरेको खण्डमा सो व्यक्ति उपर प्रचलित कानुन तथा नियमावली अनुरुप सजाय गरिने छ।

५. उल्लेखित कार्यका लागि यो दान लिने कुरामा सडक उपभोक्ता समुहलाई मञ्जुर छ।

६. यस संम्झौत्ता पक्षसंग सम्बन्धीत सवै नियमहरु यस पत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिबाट लागु हुनेछ।

| | |
|---|---|
| ......................... | .......................... |
| जग्गा धनिको हस्ताक्षर | सडक उपभोक्ता समुहको प्रतिनिधि |

साक्षिहरु

१.

२.

३.

अनुसूची १०

Rural/Agricultural Road Check List

Form No. -1

# Rural Transport Inventory

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Road ref. No. | | District | | | |
| Link from | | Link to | | | |
| Raod/Trail Length (km) | | Shoulder width (m) | | | |
| Carriageway width (m) | | Right of way (m) | | | |
| Construction year | | Topo sheet No. | | | |
| Construction status | Under planning | | Under construction | | Construction |
| Raod Category | Agricultural | | Rural | | |
| Is this road included in DTMP? | Yes | | No | If yes name of agency? | |
| Does the road collects toll tax? | Yes | | No | Annual amount collected | |
| Road Operation status | Fair weather | | All weather | | Not Operational |

Strategic Importance
(Refer Parameter Guideline)

| | Importance |
|---|---|
| | Low |
| | Midium |
| | High |

Aunual Average Daily Traffic

| | |
|---|---|
| | < 15 vpd |
| | 15-40 vpd |
| | > 45 vpd |

**V.D.C.s crossed by the road:**

| V.D.C. code | V.D.C. name | Population |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Transport Class:**

| | |
|---|---|
| District Road | |
| Villiage Road | |
| Urban Road | |
| Main trial | |
| Village trail | |
| Ropeway | |

**Existing bridge/Potential bridge site information**

| Bridge ID | Construction year | Chainge | No.of Span | Length | Width | Height | Type (Ct, WD, ST,PT) | River/Khola | Condition (G,F,P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Major unstability areas:**

| Chainage | Instability width | | | Condition | Breast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | Good/Poor | L | H |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Budget spent in the last F/S

| Agencies | budget (Nrs.) | Remarks (name of the Project etc.) |
|---|---|---|
| User | | |
| VDC | | |
| DDC | | |
| NM | | |
| Poject | | |
| Other | | |

अनुसूची - १०

**Rural/Agricultural Road Check List**

**Form No. - 2**

# Rural Transport Inventory

## Structures

**District :………………………………….**

| S.N. | Name of Road and Class | Chanage (km) | Bridge Length(m)-Type | Causeway Length(m)-Type | Slab Culvert Span (m) | Culvert Type - Øxno. / LxB | Other Minor Structures Size of opening (mxm) | Repair Works and Improvements if needed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Example | Maldhunga - Beni Rural Road Class 'A' | 0+025 | 7 - W00den | | | | | Repair of Wooden deck |
| | | 0+500 | | 14-Concrete | | | | Replacing of d/s apron |
| | | 0+600 | | | 3 | | | Repair of wing walls |
| | | 0+925 | | | | Pipe - 0.60x2 | | Cleaning of pipes |
| | | 1+000 | | | | | Scupper (0.50x0.60) | Cleaning of opening |
| 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Note : If Required, please use more pages. FOR BRIDGE : Concrete/Masonry/Steel/Wooden ; FOR CAUSEWAY : DryStone/Masonry/Concrete /Vented ; FOR PIPE CULVERT : Pipe/Box

अनूसुची १०

**Rural/Agricultural Road Check List**

**Form No. - 3**

# Rural Transport Inventory

## Pavement/Structures

**District :…………………………………**

| S.N. | Name of Road and Class | Chanage (km) | | Pavement | | Side Drain | | Retaining Structures | | Bio-Engineering Measures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | From | To | Type | Length (m) | Type | Length (m) | Type | LxH (mxm) | Type | LxB (mxm) |
| Example | Maldhunga - Beni Rural Road Class 'A' | 0+025 | 0+100 | Earthen | 100 | | | | | | |
| | | 0+100 | 0+200 | | | Masonry | 100 | | | | |
| | | 0+200 | 0+300 | | | | | Gabion | 100 | | |
| | | 0+300 | 0+400 | | | | | | | Bruss layering | 100 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Note : If Required, please use more pages. Please indicate the type - FOR PAVENENT : Earthen/Gravel/Black Top ; FOR SIDE DRAIN : Earthen/Dry Stone/ Masonry/Concrete ; FOR RETAINING STRUCTURE : Dry stone/Masonry/Gabion/Composite/Revetment ; FOR BIO-ENGINEERING : Bruss layering/Grass Seeding/ Fencing/Bamboo planting/Check dams etc.

# अनुसूची - ११

## नियमित मर्मत संभारको लागि सडक स्थिति

| | | | |
|---|---|---|---|
| सडकको नाम ____________ | सडक लम्बाई ____________ कि.मी. | खण्ड ____ + ____ देखि सम्म ____ + ____ | निर्माण साल ____________ |
| विकास क्षेत्र: ____________ | जिल्ला ____________ | गा.वि.स. ____________ | माटे ____ ग्राभेल ____ कालोपत्रे ____ |
| सडकको चौडाई ____________ मी. | वाहनपथको चौडाई | सोल्डर, बाँया ______ मी., दाँया………….मी. | जम्मा चौडाई मिटर ____________ सडक-सन्दर्भ क्रमसंख्या ___ |

| किलोमीटर | +000 | +100 | +200 | +300 | +400 | +500 | +600 | +700 | +800 | +900 | +1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दाँया तर्फ — **सकड चिन्हहरु** | | | | | | | | | | | |
| सडक सुरक्षा संरचनाहरु<br>पारापेट, खामो, कि.मी. पोष्ट आदि | | | | | | | | | | | |
| **संरचनाको स्थल**<br>टेवा पर्खाल (Retaining/Breast)<br>चेक डाम आदी<br>वायो - इन्जिनियरिङ्ग संरचना | | | | | | | | | | | |
| **नालीहरु:**<br>सिमेन्ट जोडाई ढलान, सुख्खा माटे, ढुंगा आदि | | | | | | | | | | | |
| **सडक क्षेत्र नक्शा**<br>> पुल स्थल<br>> कलभर्ट स्थल<br>> कजवे स्थल<br>> शहर र गाँऊ<br>> दोभान (Junction To………….) **सडक केन्द्र रेखा**<br>> निर्माण सामाग्रीको स्थान<br>> बाँकी रहेको सामाग्री थुपार्ने स्थान<br>> बेन्च मार्क | | | | | | | | | | | |
| बाँया तर्फ — **नालीहरु:**<br>सिमेन्ट जोडाई ढलान, सुख्खा माटे, ढुंगा आदि | | | | | | | | | | | |
| **संरचनाको स्थल**<br>टेवा पर्खाल (Retaining/Breast)<br>चेक डाम आदी<br>वायो - इन्जिनियरिङ्ग संरचना | | | | | | | | | | | |
| सडक सुरक्षा संरचनाहरु<br>पारापेट, खामो, कि.मी. पोष्ट आदि | | | | | | | | | | | |
| **सकड चिन्हहरु** | | | | | | | | | | | |

कैफियत

मिति:____________________

अनुसूची १२

स्थानीय स्तरका सडकहरुको निर्माण, संञ्चालन र मर्मत कार्य गराउंदा (स्थानीय स्वायत्त शाासन नियमावली २०५६ मा व्यवस्था भएका) प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने अनुसूचिहरुको विवरण :-

| सि.नं. | कामको विवरण | प्रयोग गर्नु पर्ने अनुसूचिको विवरण | | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| | | अनुसूचि | स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको पेज नं. | |
| १ | स्थानीय उ.स/समुदाय /गै.स.स.संग गरिने संम्झौताको ढाचा फाराम | ३ | ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, र ९८ | |
| २ | डोर हाजिर फाराम | १०९ | ३८१, र ३८२ | |
| ३ | डोर हाजिर (नियन्त्रण) खाता | ११० | ३८३ | |
| ४ | लगत अनुमान फाराम | १११ | ३८४ | |
| ५ | कार्यादेश विवरण फाराम | ११२ | ३८५ | |
| ६ | ठेक्का सम्वन्धी विल फाराम | ११३ | ३८६, र ३८७ | |
| ७ | नापी किताब फाराम | ११४ | ३८८ | |
| ८ | नापी किताब नियन्त्रण खाता | ११५ | ३८९ | |
| ९ | कार्य सम्पन्न मुल्याकन फाराम | ११६ | ३९० | |
| १० | आईटमवाईज कार्य अभिलेख खाता | ११७ | ३९१ | |
| ११ | ठेकेदार/उ.स./गै.स.स. को व्यक्तिगत खाता | ११८९ | ३९२, र ३९३ | |
| १२ | ठेक्का सम्वन्धी लागत | ११९ | ३९४ | |